दिनांक 20.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 19.01.2025 को जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय, मजदूरी का काम करने वाले व्यक्ति द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने संबंधी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड की गयी थी। उक्त वीडियो के संबंध में दिनांक 19.01.2025 को समय 17:40 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा दिये गये एलर्ट में पीड़ित का मोबाईल नम्बर उपलब्ध नही कराए जाने के कारण मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा तत्काल उक्त व्यक्ति की इंस्टाग्राम आईडी का अवलोकन करके पीड़ित के सम्बन्ध में जानकारी करने का प्रयास किया गया। इंस्टाग्राम पर पीड़ित द्वारा पूर्व में अपलोड की गई फ़ोटो में दिख रहे दुपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर जनपद कौशाम्बी को तत्काल समय 17:59 पर प्रकरण से अवगत कराया गया। जनपद कौशाम्बी द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर मे दिए गए पते पर तत्काल जाकर जानकारी की गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि दिए गए पते पर पीड़ित की ससुराल है तथा पीड़ित जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी क्षेत्र में रहकर मजदूरी का कार्य करता है। जनपद कौशाम्बी से पीड़ित के पते की जानकारी प्राप्त कर मुख्यालय सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा तत्काल जनपद जनपद चित्रकूट को अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर थाना कर्वी के उ0नि0 एवं आरक्षी मात्र 30 मिनट के अन्तराल में पीड़ित के घर पहुंचे एवं पीड़ित के द्वारा जहर खाने की

जानकारी उनके परिजनों को देकर तत्काल परिजनों के साथ पीड़ित को ले जाकर सीएचसी भांगा में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। स्वस्थ होने पर थाना कर्वी के उ0नि0 द्वारा पीड़ित की समस्या की जानकारी एवं काउंसलिंग की गई, जिस पर उसके द्वारा बताया गया कि मेरा एक 16 माह का बच्चा था जिसका इलाज चल रहा था, वह कुछ दिन पहले खत्म हो गया। बच्चे की मृत्यु के कारण मैंने अवसाद में आकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से चूहा मार दवा खाकर उसकी वीडियो इन्स्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था। पुलिस द्वारा की गई काउंसलिंग के उपरान्त पीड़ित द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नही करने का आश्वासन दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित के प्राणों की रक्षा किए जाने में दिखाई गई तत्परता और सहायता की परिजनों द्वारा मुक्त कंठ से सराहना करके आभार व्यक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01.01.2023 से 15.01.2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 656 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

जनपद गोरखपुर/थाना पीपीगंज

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.01.2025 को थाना पीपीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्दन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पीपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पीपीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दन निवासी हरीखेरा थाना गगहा जनपद गोरखपुर।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना इटौंजा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/स्नैचिंग की घटना का अनावरण**
- **लूट/स्नैचिंग की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 2150/–रूपये नगद**
- **01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 20.01.2025 को थाना इटौजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधवपुर जाने वाली रोड के पास से अभियुक्त पंकज को गिरफ्तार कर लूट/स्नैचिंग की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट/स्नैचिंग की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 2150/–रूपये नगद, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना इटौजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना इटौजा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये लूट/स्नैचिंग की

घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट,चोरी, झपटमारी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना इटौजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंकज निवासी पब्लिक बिहार कालोनी सतरिख रोड थाना चिनहट, लखनऊ।

बरामदगी

1— लूट/स्नैचिंग की (पीली—सफेद) धातु के आभूषण, 2150/—रूपये नगद।

2—01 दो पहिया वाहन।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 स्विफ्ट कार आदि बरामद**

दिनॉकः 19/20.01.2025 की रात्रि थाना हाथरस जंक्शन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हाथरस से सिकन्द्राराऊ रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रिषभ उर्फ कान्हा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रोहित 3—सचिन कुमार 4—अनुज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट कार आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रिषभ उर्फ कान्हा के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रिषभ उर्फ कान्हा निवासी ग्राम वोदिया थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

2–रोहित निवासी गंगचौली थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

3–सचिन कुमार निवासी वघांऊ थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

4–अनुज निवासी गंगचौली थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 स्विफ्ट कार आदि।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना औद्योगिक क्षेत्र

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 280 कि0ग्रा0 पीसीबी/स्कैप**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद**

दिनॉकः 20.01.2025 को थाना औद्योगिक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सड़वा के पास से 02 अभियुक्तों 1–दीपक 2–मो0 अशफाक उर्फ अज्जु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 280 कि0ग्रा0 पीसीबी/स्कैप, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पीसीबी/स्कैप उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक के विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक निवासी ग्राम बेलवट थाना औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज।

2—मो0 अशफाक उर्फ अज्जु निवासी दरियाबाद थाना अतरसुइया, प्रयागराज।

बरामदगी

1—चोरी की 280 किग्रा0 पीसीबी/स्क्रैप।

2—घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन।

- **जनपद इटावा/थाना बसरेहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—विनोद उर्फ छोटे 2—राजेश उर्फ बड़े को धारा 147/148/149/302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 40—40 हजार रूपये अर्थदण्ड अभियुक्त 3—अमन उर्फ गट्टे 4—विजय उर्फ शेरू 5—गुरूदेव 6—पप्पू उर्फ शकील को धारा 147/148/149/302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 7—करता किशन को धारा 147/148/149/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना फतेहपुर चौरासी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मदन को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना हरियावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 25–25 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व प्रत्येक को 20 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरियावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सारूक 2–बब्बे को 25–25 वर्ष के कठिन कारावास व प्रत्येक को 20 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनस अंसारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना रतनपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना रतनपुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त असलम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना जुगैल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना जुगैल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त डबलू को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुबोध को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————